संचालनालय मछली पालन, छत्तीसगढ़

इंद्रावती भवन, चतुर्थ तल, बी ब्लाक, नवा रायपुर, अटल नगर, छ0ग0

विज्ञापन

कमांक– 108 /सं.म./स्था./भर्ती/2023–24 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनॉक 24/01/2024

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र कमांक एफ 13--1/2023/आ.प्र./1–3 दिनांक 03.05.2023 में आरक्षण संबंधी निहित निर्देश एवं छत्तीसगढ़ शासन, मछली पालन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र कमांक एफ –6–5/36/ तकनीकी/2023/30 दिनांक 24.01.2024 द्वारा मछली पालन विभाग के अधीन मत्स्य निरीक्षक (कार्यपालिक) के रिक्त पदों पर सीधी भरती के माध्यम से पदपूर्ति करने की प्राप्त सहमति के संदर्भ में **छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों से** आनलाईन आवेदन छ0ग0 व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर की वेबसाइट **vyapam.cgstate.gov.in** पर आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों की प्रवर्गवार संख्या का विवरण निम्न तालिकानुसार है–

स. क.	पद का नाम तथा वेतनमान एवं ग्रेड वेतन	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छ0ग0 की स्थानीय महिलाओं के लिए आरक्षित पद				वर्गवार कुल रिक्तियों में से दिव्यांगजनो के लिए आरक्षित पद	कुल रिक्तियों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद	योग
		अना–रक्षित	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अना–रक्षित	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	मत्स्य निरीक्षक वेतनमान रू. 28700/– **(लेवल–07)**	29	08	23	10	08	02	06	03	05 (बैकलॉग–1) अस्थि बाधित–01, श्रवण बाधित–01, दृष्टि बाधित–03	07	70

शैक्षणिक योग्यता :–

मत्स्य निरीक्षक पद हेतु– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एफ.एससी.,

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में स्नातक और केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा शासित किसी संस्थान से अन्तर्देशीय मत्स्योद्योग पाठ्यकम में प्रशिक्षण प्राप्त।

नियम एवं शर्ते –

1. **आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है।** जिसकी पुष्टि हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण–पत्र की स्वयं अथवा सक्षम अधिकारी से सत्यापित छायाप्रति चयन प्रकिया के दौरान विभागीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2. आयु सीमा –

मत्स्य निरीक्षक पद के लिए अभ्यर्थी, ने दिनांक 01.01.2024 को 20 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो एवं अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष पूर्ण ना की हो।

तथापि सामान्य प्रशासन विभाग छ0ग0 शासन, मंत्रालय नया रायपुर के परिपत्र कमांक एफ 3–2/2015/1–3 अटल नगर, जिला रायपुर दिनॉक 18/01/2024 के द्वारा अधिकतम आयु सीमा में एक बार के लिए 5 वर्ष की दी गई छूट परिपत्र में निहित निर्देशानुसार लागू

होगी।

आयु सत्यापन हेतु पॉचवी, **अथवा** आठवीं **अथवा** दसवीं की अंक सूची/प्रमाण–पत्र की स्वयं अथवा सक्षम अधिकारी से सत्यापित छायाप्रति चयन प्रक्रिया के दौरान विभागीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, छ0ग0 शासन के कार्यरत अथवा पूर्व में कार्यरत रह चुके कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता /नैमेत्तिक सेवानिधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी, छटनी किये गए शासकीय सेवक, भूतपूर्व सैनिक, अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत अभ्यर्थी, शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान, तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार धारक अभ्यर्थी, एवं उत्कृट खिलाड़ी घोषित अभ्यर्थी, राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी, स्वयं सेवी नगर सैनिक तथा नगर सैनिकों के नानकमीशन्ड अधिकारी, महिलाएँ, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएँ, निशक्तजन, को शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित नियमों/निर्देशों के तहत् निर्धारित आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जा सकेगी। छूट प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को तत्संबंधी प्रमाणपत्र की स्वयं अथवा सक्षम अधिकारी से सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। **सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी ने अधिकतम आयु 45 वर्ष पूर्ण ना की हो।**

3. आवेदक को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजनों एवं भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण का लाभ लेने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति स्वयं अथवा राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराकर चयन प्रकिया के दौरान विभागीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में, किन्तु अन्य पात्रता पूर्ण होने पर अनारक्षित प्रवर्ग में विचार किया जावेगा।

   अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर कीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर कीमीलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है अतः अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर कीमीलेयर के अंतर्गत आने के प्रमाण हेतु ऐसा आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा जो आवेदन करने के तिथि से पूर्ववर्ती 3 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ हो।

4 **महिलाओं के लिए आरक्षणः**– सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी–3–2/97/3/1 दिनांक 18.02.1997 अनुसार चयन प्रक्रिया में किसी भी आरक्षित प्रवर्ग अथवा अनारक्षित प्रवर्ग में 30 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। उपरोक्त तालिका के कॉलम क्रमांक 07 से 10 में आरक्षित पद, उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में चयन न होने से, ऐसे पद उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीद्वारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे, जिस प्रवर्ग के लिए वह आरक्षित है।

5 **दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण की व्यवस्था** :– उपरोक्त तालिका के कालम क0 11 अनुसार दिव्यांगजनों के लिए पद आरक्षित हैं। आरक्षित रिक्तियों की संख्या के विरूद्ध चयनित दिव्यांग उम्मीदवार के जाति प्रवर्ग के आधार पर उम्मीदवार का नाम, आरक्षण रोस्टर के संबंधित बिंदु में प्रविष्टि की जावेगी। दिव्यांगजनों की निःशक्तता की पात्र श्रेणीयां OA (एक भुजा), OL (एक पैर), CL (कुष्ठ उपचारित), LV (कम दृष्टि), HH (श्रवण बाधित) होगी।

6 **भूतपूर्व सैनिकों के लिए अनुदेश** – उपरोक्त तालिका के कॉलम क्रमांक 12 अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुल रिक्तियों का 10 प्रतिशत पद आरक्षित है। शैक्षणिक अर्हताधारी भूतपूर्व सैनिकों को विज्ञप्ति में निहित नियम एवं शर्तों के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों के अतिरिक्त,

भूतपूर्व सैनिक होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, चयन प्रक्रिया के दौरान विभागीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। छ0ग0 भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 में निहित प्रावधान यथा–संशोधित लागू होंगे। उम्मीदवार के जाति प्रवर्ग के आधार पर चयनित उम्मीदवार का नाम, उसके जाति के आधार पर आरक्षण रोस्टर के संबंधित बिंदु में प्रविष्टि की जावेगी। पात्र भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी की अनुपलब्धता में कुल वर्गवार रिक्तियों के आरक्षण के उसी प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से पद की पूर्ति की जावेगी।

7. आवेदक जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा के पूर्व विवाह कर लिया गया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
8. नियुक्ति हेतु सिफारिश कराने वाले एवं किसी भी प्रकार का दबाव डालने वाले आवेदक को नियुक्ति के लिए अपात्र कर दिया जावेगा।
9. संचालक मछली पालन छ0ग0 रायपुर द्वारा, बिना पूर्व सूचना के अधिसूचित रिक्तियों की संख्या घटाई अथवा बढ़ाई जा सकेंगी, या विज्ञापन निरस्त भी किया जा सकेगा।
10. शासन द्वारा नियमों / भर्ती नियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो वह इस विज्ञप्ति में लागू होंगी।

.11. **चयन प्रकिया –**

अभ्यर्थियों का चयन निम्नानुसार निर्धारित प्रक्रिया से होगाः–

व्यवसायिक परीक्षा मंडल, (व्यापम), रायपुर, छ0ग0 द्वारा भर्ती परीक्षा ली जावेगी। व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा अर्जित प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची (Merit List) तैयार की जावेगी, जिसके आधार पर विभागीय चयन समिति के परीक्षण उपरांत सीधी नियुक्ति दी जावेगी, अर्थात अर्जित अधिकतम प्राप्तांक से तैयार प्राविण्य सूची ही सीधी भरती का आधार होगा, पृथक से साक्षात्कार नहीं लिया जावेगा।

व्यापम से प्राप्त प्राविण्य सूची के अनुसार अभ्यर्थियों के विहित योग्यता संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन, विभागीय चयन समिति के द्वारा किया जावेगा तथा उपयुक्त पाये जाने पर ही पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति विभाग द्वारा की जावेगी।

12. अभ्यर्थियों के द्वारा समान अंक अर्जित करने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर आपसी वरीयता तय की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसे वरीयता दी जावेगी।
13. अभ्यर्थी द्वारा व्यापम अथवा विभाग को दी गई जानकारी यदि चयन प्रकिया के दौरान अथवा नियुक्ति के पश्चात् असत्य होना पाया जाता है तो की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी, एवं संबंधित के विरूद्ध उचित कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
14. शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु शासन द्वारा निर्धारित पात्रता पूर्ण करने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा, चयन एवं नियुक्ति की प्रकिया के किसी भी स्तर पर एवं नियुक्ति के पश्चात् भी अपात्रता पाये जाने पर चयन / नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
15. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र कमांक एफ 13–1 / 2023 / आ.प्र. / 1–3 दिनांक 03.05.2023 अनुसार की जाने वाली नियुक्तियॉ माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दायर SLP(C) क्रमांक 19668 / 2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

16. नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी। चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जावेगी।
17. चयन सूची जारी होने के दिनॉक से 01 वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य होगी।
18. अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में तथा भर्ती प्रकिया के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संचालक मछली पालन, छ0ग0 रायपुर के पास सुरक्षित रहेगा।

संचालक मछली पालन
छत्तीसगढ़